07/11/24	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष अपना राजीनामा प्रस्तुत - पत्र पारिवारिक बंटवारा किया जाना है। जिस पर निर्णय अनुसार दाखिल खारिज डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2024/649

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.11 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 323 / 2024 GCMS:- 2024/649

1. बुटा सिंह पुत्र श्री घुकर सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एमओडी, गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।
2. गुरदत सिंह पुत्र राज सिंह जटसिख निवासी 26 एमओडी, गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

— वादीगण

—:: बनाम ::—

1. घुकर सिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जटसिख निवासी 26 एमओडी, गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।
2. बलजीत कौर पत्नी घुकरसिंह जटसिख निवासी 26 एमओडी, गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।
3. रमनजीत कौर पुत्री घुकरसिंह पत्नी जसविन्द्र सिंह जटसिख निवासी 6 ई.ई.ए. तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
4. राज सिंह पुत्र मोहर सिंह जटसिख निवासी 26 एमओडी, गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।
5. मनजीत कौर पत्नी राज सिंह जटसिख निवासी 26 एमओडी, गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।
6. वीरपाल कौर पुत्री राज सिंह पत्नी लाभ सिंह जटसिख निवासी श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।
7. गुरमेल सिंह पुत्र मोहर सिंह जटसिख निवासी 26 एमओडी, गुरूसर मोडिया हाल आबाद जुझारसिंह नगर तहसील बठिण्डा पंजाब।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राजस्व, सूरतगढ़ ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ;राजस्व, सूरतगढ़ ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.11 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53,209 ए आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

1. श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता
2. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार अधिवक्ता
3. राज पैरोकार

वादीगण
प्रतिवादी सं. 1 ता 7
प्रतिवादी सं. 8,9

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 07/11/2024

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53,49–ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है, कि वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता श्री घुकर सिंह, गुरदत सिंह थे।

तहसील पीलीबंगा के **चक 25 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 55/50 के प.नं.** 8/265(35) के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0.228,6/2/0.025, 7 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 की कुल **6.325 हैक.** नहरी मय गै.मु. खाला–रास्ता खातेदारी मे से प्रतिवादी 1,4,7 प्रत्यैक के नाम 1/3–1/3 हिस्सा नहरी मय गै.मु. खाला–रास्ता खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2075 से 2078 सलंग्न वाद पत्र है।

तहसील सूरतगढ़ के **चक 28 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 41/33 के प.नं.** 21/272(20) के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, प.नं. 22/272(19) किला नं. 1 ता 4, 5/1/0.228,5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 कुल रकबा **6.578 हैक.** नहरी मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि मे से प्रतिवादी 1,4,7 प्रत्यैक के नाम 1/3– 1/3 हिस्सा नहरी मय गै.मु. खाला–रास्ता खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2075 से 2078 सलंग्न वाद पत्र है।

वादी के दादा स्व. मोहर सिंह का देहान्त हो चुका है जिनके जायज व कानूनी वारिसान प्रतिवादी सं. 1 ता 7 है। [illegible] स्व. मोहर सिंह का अन्य कोई विधिक वारिस नही है। वादग्रस्त कृषि भूमि [illegible] की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा [illegible] समय पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक [illegible] वादग्रस्त कृषि भूमि का घरा घरू बंटवार में प्रतिवादी सं. 2,3 वादी प्रथम पक्षकार [illegible] माता/बहिन एवं प्रतिवादी सं. 5,6 द्वितीय पक्षकार वादी ;गुरतसिंहद्धप्रथम पक्षकार की माता/बहिन है ने अपना समस्त हिस्सा वादीगण प्रथम पक्षकार व प्रतिवादी सं. 1,4,7 द्वितीय पक्षकार के पक्ष में सहमति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.11 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सम्पादित कर दिया तत्पश्चात वादीगण व प्रतिवादी सं. 1,4,7 ने वादग्रस्त कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से निम्न प्रकार से बंटवारा कर लिया :-
(क) वादी संख्या 1 (बुटा सिंह) व प्रतिवादी सं. 1 (घूकर सिंह) को तहसील सूरतगढ़ के **चक 28 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 41/33 के प.नं.** 21/272(20) के किला नं. 1/1/0. 228, 1/2/0.025 की 0.253 हैक. नहरी मय गै.मु.खाला व प.नं. 22/272(19) किला नं. 6/1/0.062, 7/0.069, 8/0.069, 9/0.069, 10/0.069 प्रत्यैक किला की दक्षिण दिशा, 11 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 कुल रकबा **4.386 हैक.** नहरी मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित भूमि मे प्रतिवादी सं. 7 का नाम कल्मजन किया जावे।

(ख) वादी सं. 2 (गुरदत सिंह) को तहसील सूरतगढ़ के **चक 28 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 41/33 के प.नं.** 22/272(19) किला नं. 1 ता 4, 5/1/0.228,5/2/0.025, 6/1/0.166(उत्तर दिशा), 6/2/0.025, 7/0.184 (उत्तर दिशा) , 8/0.184 (उत्तर दिशा), 9/0.184 (उत्तर दिशा), 10/0.184 (उत्तर दिशा) कुल रकबा **2.192 हैक.** नहरी मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।
(ग) प्रतिवादी सं. 4 (राज सिंह) को **चक 25 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 55/50 के प.नं.** 8/265(35) के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.205 (पश्चिम दिशा),3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0.172(उत्तर दिशा), 6/2/0.025, 7/0.1915, 8/0. 1725, 9/0.1915, 10/0.1915 की कुल **2.186 हैक.** नहरी मय गै.मु. खाला–रास्ता खातेदारी की कृषि भूमि प्राप्त हुई है।
;घद्ध प्रतिवादी सं. 7 (गुरमेल सिंह) को तहसील पीलीबंगा के **चक 25 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 55/50 के प.नं.** 8/265(35) के किला नं. 6/0.056, 7/0.0615, 8/0.0615, 9/0.0615, 10/0.0615 (प्रत्यैक किला की दक्षिण दिशा), 11 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 की कुल **4.097 हैक.** नहरी मय गै.मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित भूमि मे से प्रतिवादी सं. 1 घूकर सिंह का नाम कल्मजन किया जावे।
प्रस्तावित रास्ता हेतू प.नं. 8/265(35) किला नं. 3/0.023(पूर्व दिशा), 8/0. 019 (पूर्व दिशा) कुल 0.042 हैक. राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज किया जावे।

वाद पत्र की दफा 3,4 मे वर्णितानुसार कृषि भूमि अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1,4,7 का कब्जा घरू बंटवारा के समय से चला आ रहा है और वर्तमान मे भी वादीगण व प्रतिवादी सं. 1,4,7 इसी घरू बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है लेकिन वर्तमान राजस्व राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के पिता घुकर सिंह व गुरदत सिंह के नाम से दर्ज होने से वादीगण की हक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है। इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 3,4 मे वर्णित कृषि भूमि का बंटवारा करवाने एवं खाता तकसीम करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.11 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादीगण का पैतृक हक व हिस्सा मानते हुये मुताबिक घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि की घोषणा करवा देवे तो प्रतिवादी कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, बस यही वाद हेतूक है ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :—

क   कि घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 3,4,7 मे वर्णित कृषि भूमि का वादीगण खातेदार काश्तकार है।

ख   कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे ।

ग   अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होने के कारण न्यायालय मे उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़ने समझने के बाद हस्ताक्षर किये। वादी की पहचान श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार अधिवक्ता द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण मे दोनो पक्ष एक ही परिवार के सदस्यगण है। दोनो पक्षों द्वारा कुछ दिन पूर्व किये गये पारितवारीक समझौते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारों के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेबाजी नहीं होने के लिए स्वेच्छा पूर्ण लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है

वादग्रस्त कृषि भूमि वादी गण व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। प्रथम पक्ष / वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई उजर एतराज नही होगा। राजीनामा पक्षकारान ने अपनी सहमति से किया है जिसे पक्षकारान ने पढ़, सुन समझ तथा पूर्ण रूप से समझ मे आ जाने के बाद सही होना माना। लिहाजा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण/ प्रथम पक्ष का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के समर्थन मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वाद पत्र मे वर्णित भूमि का अन्य किसी भी न्यायालय मे कोई वाद विचाराधीन नही है, भूमि पैतृक है, राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। भूमि से संबंधित समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नही होने के कारण प्रकरण मे तनकीयात कायम नही होने से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणो ने वाद एवम् राजीनामा मे दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध मे आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40—53, 38—39—40, आर.आर.डी., 1966 पेज 71 ए.आई.आर. [illegible] एससीपेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975—478, ए.आई.आर. [illegible] एससी432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की [illegible] 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.11 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

राजस्थान काश्तकारी ;बोर्ड ऑफ रेवेन्युअधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी मे समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व ;ग्रुप–6विभाग जयपुर के पत्रांक प.51राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकारी विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पत्ति मे जन्म से ही अधिकार है। इसलिए पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारीक समझौता धोखा धडी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारीक समझौते पक्षकारान द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर भी पुत्र पुत्रीयों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पत्ति को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति मे शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पत्ति की श्रेणी मे आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपने कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 ;एच.सीडी.एन.जे. एससीपेज 2023 पेज 29, आर.आर.डी. 1998 पेज 644, आर.आर.डी. 1995 पेज 529 पेश किये।

राज पैरोकार ने इस आश्य का जबाव प्रस्तुत किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि तहसील पीलीबंगा के **चक 25 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 55/50 के प.नं.** 8/265(35) के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0.228,6/2/0.025, 7 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 की कुल **6.325 हैक.** नहरी मय गै.मु. खाला–रास्ता [illegible] मे से प्रतिवादी 1,4,7 प्रत्यैक के नाम 1/3– 1/3 हिस्सा नहरी मय गै.मु. [illegible] व तहसील सूरतगढ़ के **चक 28 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 41/33** के प.नं. 21/272(20) के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, प.नं. 22/272(19) किला नं. 1 ता 4, 5/1/0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.11 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

28,5/2/0.025, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 कुल रकबा **6.578 हैक.** नहरी मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि मे से प्रतिवादी 1,4,7 प्रत्यैक के नाम 1/3– 1/3 हिस्सा नहरी मय गै.मु. खाला–रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख खातेदार भूमि है जो जाद्दी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन किया जाता है:–

(क) वादी संख्या 1 (बुटा सिंह) व प्रतिवादी सं. 1 (घूकर सिंह) को तहसील सूरतगढ़ के **चक 28 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 41/33 के प.नं.** 21/272(20) के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025 की 0.253 हैक. नहरी मय गै.मु.खाला व प.नं. 22/272(19) किला नं. 6/1/0.062, 7/0.069, 8/0.069, 9/0.069, 10/0.069 प्रत्यैक किला की दक्षिण दिशा, 11 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 कुल रकबा **4.386 हैक.** नहरी मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित भूमि मे प्रतिवादी सं. 7 का नाम कल्मजन किया जावे।

(ख) वादी सं. 2 (गुरदत सिंह) को तहसील सूरतगढ़ के **चक 28 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 41/33 के प.नं.** 22/272(19) किला नं. 1 ता 4, 5/1/0.228,5/2/0.025, 6/1/0.166(उत्तर दिशा), 6/2/0.025, 7/0.184 (उत्तर दिशा) , 8/0.184 (उत्तर दिशा), 9/0.184 (उत्तर दिशा), 10/0.184 (उत्तर दिशा) कुल रकबा **2.192 हैक.** नहरी मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

(ग) प्रतिवादी सं. 4 (राज सिंह) को **चक 25 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 55/50 के प.नं.** 8/265(35) के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.205 (पश्चिम दिशा),3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0.172(उत्तर दिशा), 6/2/0.025, 7/0.1915, 8/0.1725, 9/0.1915, 10/0.1915 की कुल **2.186 हैक.** नहरी मय गै.मु. खाला–रास्ता खातेदारी की कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

;घद्ध प्रतिवादी सं. 7 (गुरमेल सिंह) को तहसील सूरतगढ़ के **चक 25 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 55/50 के प.नं.** 8/265(35) के किला नं. 6/0.056, 7/0.0615, 8/0.0615, 9/0.0615, 10/0.0615 (प्रत्यैक किला की दक्षिण दिशा) 11 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.11 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

में कुल **4.097 हैक.** नहरी मय गै.मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित भूमि मे से प्रतिवादी सं. 1 घूकर सिंह का नाम कल्मजन किया जावे।

प्रस्तावित रास्ता हेतू प.नं. 8/265(35) किला नं. 3/0.023(पूर्व दिशा), 8/0.019 (पूर्व दिशा) कुल 0.042 हैक. राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज किया जावे।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा व सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म ;यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 07/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.11 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 323/2024

1. बुटा सिंह पुत्र श्री घुकर सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एमओडी, गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।
2. गुरदत सिंह पुत्र राज सिंह जटसिख निवासी 26 एमओडी, गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

—— वादीगण

—:: बनाम ::—

1. घुकर सिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जटसिख निवासी 26 एमओडी, गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।
2. बलजीत कौर पत्नी घुकरसिंह जटसिख निवासी 26 एमओडी, गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।
3. रमनजीत कौर पुत्री घुकरसिंह पत्नी जसविन्द्र सिंह जटसिख निवासी 6 ई.ई.ए. तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
4. राज सिंह पुत्र मोहर सिंह जटसिख निवासी 26 एमओडी, गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।
5. मनजीत कौर पत्नी राज सिंह जटसिख निवासी 26 एमओडी, गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।
6. वीरपाल कौर पुत्री राज सिंह पत्नी लाभ सिंह जटसिख निवासी श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।
7. गुरमेल सिंह पुत्र मोहर सिंह जटसिख [illegible], गुरूसर मोडिया हाल आबाद जुझारसिंह नगर तहसील [illegible]
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.11 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 02

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ;राजस्वद्ध सूरतगढ़ ।

—— प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धाराः— 88,53,209—ए आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन

निर्णय दिनांक :— 07/11/2024

वादी की ओर से श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को सन्दीप कुमार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53,209—ए के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन किया जाता हैः—

(क) वादी संख्या 1 (बुटा सिंह) व प्रतिवादी सं. 1 (घूकर सिंह) को तहसील सूरतगढ़ के **चक 28 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 41/33 के प.नं.** 21/272(20) के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025 की 0.253 हैक. नहरी मय गै.मु.खाला व प.नं. 22/272(19) किला नं. 6/1/0.062, 7/0.069, 8/0.069, 9/0.069, 10/0.069 प्रत्यैक किला की दक्षिण दिशा, 11 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 कुल रकबा **4.386 हैक.** नहरी मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि ब.हि.ब. प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित भूमि मे प्रतिवादी सं. 7 का नाम कल्मजन किया जावे।

(ख) वादी सं. 2 (गुरदत सिंह) को तहसील सूरतगढ़ के **चक 28 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 41/33 के प.नं.** 22/272(19) किला नं. 1 ता 4, 5/1/0.228,5/2/0.025, 6/1/0.166(उत्तर दिशा), 6/2/0.025, 7/0.184 (उत्तर दिशा) , 8/0.184 (उत्तर दिशा), 9/0.184 (उत्तर दिशा), 10/0.184 (उत्तर दिशा) कुल रकबा **2.192 हैक.** नहरी मय गै.मु.खाला खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

(ग) प्रतिवादी सं. 4 (राज सिंह) को **चक 25 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 55/50 के प.नं.** 8/265(35) के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.205 (पश्चिम दिशा),3/2/0.025, 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.203, 5/2/0.025, 5/3/0.025, 6/1/0.172(उत्तर दिशा), 6/2/0.025, 7/0.1915, 8/0.1725, 9/0.1915, 10/0.1915 की कुल 2.186 हैक. नहरी मय गै.मु. खाला—रास्ता खातेदारी की कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

;घद्ध प्रतिवादी सं. 7 (गुरमेल सिंह) को तहसील पीलीबंगा के **चक 25 एम.ओ.डी. के खाता सख्या 55/50 के प.नं.** 8/265(35) के किला नं. 6/0.056, 7/0.0615, 8/0.0615,

लगातार पेज 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.11 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

9/0.0615, 10/0.0615 (प्रत्यैक किला की दक्षिण दिशा), 11 ता 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24, 25/1/0.228, 25/2/0.025 की कुल **4.097 हैक.** नहरी मय गै.मु. खाला खातेदारी कृषि भूमि प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित भूमि मे से प्रतिवादी सं. 1 घूकर सिंह का नाम कल्मजन किया जावे।

प्रस्तावित रास्ता हेतू प.नं. 8/265(35) किला नं. 3/0.023(पूर्व दिशा), 8/0.019 (पूर्व दिशा) कुल 0.042 हैक. राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज किया जावे।

तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 07/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.11.11 16:43:58 IST
Reason: SelfAttested